*1 जुलाई, 2002 से 30 जून, 2003 तक **

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I समष्टिगत आर्थिक नीति परिवेश

प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2002-03 में पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों की निरंतर मंदी और कई बाह्य आघातों के कारण बने रहे भ्रामक वातावरण के बावजूद समष्टिगत आर्थिक नीतियों की स्थिति सचेत आशावाद की रही। देश की सीमा पर तनाव, भयंकर सूखा और वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी जैसे आघातों ने घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। सूखे की स्थिति की वजह से आपूर्ति व्यवस्था में तेज़ी लाना आवश्यक हो गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित खाद्यान्नों के भंडार में अत्यधिक वृद्धि कर दिए जाने से खाद्यान्न की आपूर्ति की स्थिति संभाल ली गई। निर्गम मूल्यों में कमी और आयात कार्यों में प्रवेश पाने के लिए स्थितियों को सहज बनाते हुए अपनाई गईं ये रणनीतियां अत्यधिक मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में प्रभावी रहीं। इन परिस्थितियों में, वर्ष के अधिकांश समय में मुद्रास्फीति की दर कम ही बनी रही, केवल अंतिम तिमाही में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मज़बूती बने रहने से इसमें वृद्धि हुई।

1.2 अन्य व्ययों को नियंत्रण में रखते हुए भी खाद्यान्न और इनपुट सब्सिडी के खर्च बढ़ गये, इसलिए राजकोषीय नीति में एक सूखा विरोधी रुख देखा गया। आर्थिक गतिविधियों की निरंतर मंदी के कारण राजस्व में गिरावट और कर / शुल्क की दरों में कमी किए जाने से राजकोषीय समेकन में साधारण-सी गिरावट आ गई। तथापि, निगरानी योग्य सुधार कार्यक्रमों और उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना के माध्यम से खास तौर से राज्यों के स्तर पर राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता में एक नयापन आया है। साथ ही, ऋण समेकन की क्रिया जारी रही और उन उपायों पर निरंतर ध्यान दिया गया जो कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात में वृद्धि को वापस में लाने के लिए बनाए गए।

1.3 प्रमुख नीतिगत दरों और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती ने सकल मांग के पुनरुज्जीवन को प्रोत्साहित करने हेतु मौद्रिक-राजकोषीय समन्वय का बेहतरीन तालमेल रखा है। भारी विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों के कारण मौद्रिक नीति के संचालन को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लगातार दूसरे वर्ष भी भुगतान संतुलन के चालू खाता में अधिशेष की स्थिति और भारी मात्रा में पूंजी प्राप्तियों ने विदेशी मुद्रा भंडार के ज़बरदस्त संचय की स्थिति पैदा कर दी। चलनिधि की प्रचुरता से वित्तीय बाज़ारों ने दरों में एक खास सहजता का अनुभव किया, नतीजतन उसका प्रभाव मौद्रिक नीति पर पड़ा, इसलिए अनुकूल और संतुलित बाज़ार स्थिति बनाए रखने के लिए इसका परिचालन निरंतर करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की ओर तेज़ी से बढ़ने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। संस्थागत संरचना में, खास तौर से समस्यामूलक आस्तियों की वसूली के संबंध में अधिनियमन द्वारा किए गए उपयुक्त परिवर्तनों से इन सुधारों में गहनता लाने का वातावरण काफी बेहतर हुआ है। वित्तीय प्रणाली की आधारभूत प्रौद्यागिकी को निरंतर उन्नत बनाया जा रहा है।

1.4 इस पृष्ठभूमि में, विकास की नीतियों को लागू किया गया ताकि अर्थव्यवस्था मध्यावधि तक अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगे और विकास की गुणवत्ता बनी रहे। विश्वव्यापी मंदी के मद्देनज़र औद्योगिक गतिविधियों की बहाली और ज़बरदस्त निर्यात ने एक ऐसी अनुकूल व्यापार नीति के लिए माहौल तैयार कर दिया जिसका मकसद निर्यात के वर्तमान स्तर को दुगुना करना था और इस प्रकार यह नीति विश्व निर्यात में भारत के हिस्से को वर्ष 2007 तक बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर देगी। केन्द्रीय बजट 2003-04 में यह लक्ष्य रखा गया है कि राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाए और राजकोषीय सुधार के गुणात्मक पहलुओं पर ज़ोर दिए जाने से उत्पन्न होने वाली समग्र स्थिति के भीतर व्यय प्रबंधन को बनाए रखा जाए। 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में मुद्रास्फीति के बारे में निरंतर सतर्क रहने का उल्लेख तो है ही, इसने बैंक दर और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी करते हुए सकल मांग की स्थिति को प्रोत्साहन प्रदान किया। वित्तीय सुदृढ़ता और विनियामक पर्यवेक्षण के स्तर को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। निकट भविष्य में सकारात्मक अपेक्षाओं की जो उम्मीद बंधी है वह बहुत कुछ इस महत्त्वपूर्ण सुधार संबंधी कानून को पारित करने से हुई है, जिसने संरचनात्मक सुधार को गहनतम बनाने के लिए वातावरण तैयार कर दिया है।

मध्यावधि विकास रणनीति

1.5 वर्ष 2002-03 से दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है जिसकी अवधि 2002-07 है। इस योजना में पूरी अवधि के दौरान 8 प्रतिशत वार्षिक के शानदार विकास का लक्ष्य रखा गया है और इसमें

* यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, बहुत से परिवर्तियों के आंकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर दिए जाते हैं, इसलिए उनका विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। जहां आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां उन्हें मार्च 2003 के आगे भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजन और नीतियों की सही समझ के लिए विगत एवं भावी वर्षों के संदर्भों का उल्लेख इस रिपोर्ट में यथावश्यक किया गया है।

यह आशा की गई है कि इस लक्ष्य को बाद के पांच वर्षों (2007-12) में और अधिक बढ़ाया जाएगा ताकि इस दशक में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जाए। इस योजना में मानव विकास के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट और निगरानी योग्य उद्देश्यों जैसे - गरीबी, रोजगार, शिक्षा और जनसंख्या की स्थिरता तथा संतुलित विकास के पर्यावरणजन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

1.6 दसवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति विकास की गति को बनाए रखने के लिए जब तक पर्याप्त रूप से निजी निवेश नहीं होते हैं तब तक कुल मांग को बढ़ाने के लिए सरकारी व्यय की मुख्य भूमिका को मान्यता प्रदान करती है। तदनुसार, सकल निवेश की दर को सकल देशी उत्पाद के लगभग 28 प्रतिशत (वर्तमान के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर) तक बढ़ाने की आशा है, जिसका वित्तपोषण मुख्यतया घरेलू बचत को बढ़ाते हुए और बाह्य बचत की प्राप्तियों में संतुलित विस्तार (नौवीं योजना की अवधि के दौरान के 1 प्रतिशत से कम को बढ़ाकर सकल देशी उत्पाद का 1.6 प्रतिशत करते हुए) करके किया जाएगा। योजना की रणनीति में अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व जैसे - वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आइसीओआर) में 4.5 से 3.6 तक की कमी करना, निर्यात मात्रा में 12.4 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि, ग्रामीण आय की अस्थिरता को स्थिर बनाना और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिव्यय की प्रवृत्ति को रोकना शामिल है (सारणी 1.1)।

1.7 राजकोषीय स्थिति में सुधार तथा अधिक से अधिक संसाधनों को उत्पादक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं राजकोषीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। दसवीं पंवचर्षीय योजना में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय समेकन के अपेक्षित स्तर तथा वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दसवीं योजना में यह कहा गया है कि केंद्र का सकल कर राजस्व आधार वर्ष (2001-02) के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) तक सकल देशी उत्पाद का 9.9 प्रतिशत हो जाएगा। राज्यों के स्वयं के कर-राजस्व का तदनुरूपी अनुपात सकल देशी उत्पाद का क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत है। जहां तक व्यय का संबंध है, दसवीं योजना में यह कल्पना की गई है कि योजना (योजना व्यय) के अधिकांश बजट को केंद्र सरकार पूरा करेगी जो आधार वर्ष के 4.4 प्रतिशत की तुलना में योजना अवधि के दौरान सकल देशी उत्पाद का औसतन 4.9 प्रतिशत होगा। दूसरी ओर, योजना से इतर व्यय आधार वर्ष के 11.3 प्रतिशत से घटकर योजना के अंतिम वर्ष में सकल देशी उत्पाद का 9.9 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इसी प्रकार राज्यों के लिए योजना व्यय 2001-02 के सदेउ के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 4.2 प्रतिशत तथा योजनेतर व्यय 2001-02 के सदेउ के 13.3 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 11.5 प्रतिशत रह जाने की संभावनाएं है। राजस्व और व्यय की इन अनुमानित प्रवृत्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी बचत और सार्वजनिक निवेश में सुधार आएगा।

सारणी 1.1: दसवीं योजना के लिए समष्टिगत मापदण्ड

मद	नौवीं योजना	दसवीं योजना	योजनोत्तर
1	2	3	4
वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (आइसी ओ आर)	4.53	3.58	3.84
वर्तमान बाजार मूल्य पर सदेउ का %			
घरेलू बचत दर	23.31	26.84	33.01
निजी बचत दर	24.13	26.40	*
सार्वजनिक बचत दर	-0.82	0.44	*
चालू खाता घाटा	0.91	1.57	3.13
निवेश दर	24.23	28.41	36.14
निजी निवेश दर	17.08	19.97	*
सार्वजनिक निवेश दर	7.15	8.44	*
प्रतिशत वार्षिक			
स दे उ वृद्धि दर	5.35	7.93	9.40
निर्यात वृद्धि दर	6.91	12.38	*
आयात वृद्धि दर	9.80	17.13	*

*. अननुमानित
स्रोत: दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), भारत सरकार

1.8 योजना की रणनीति के प्रति विवेचनात्मक दृष्टि रखने से नीति और संस्थागत विन्यास में उपयुक्त परिवर्तन होते हैं जो अर्थव्यवथा में होने वाले महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों का सम्यक रूप से आभास कराते हैं। कृषि, निर्माण-कार्य, 'अन्य परिवहन' तथा 'अन्य सेवाएं' जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की क्षमता अधिक होती है और तुलनात्मक रूप से पूंजी-प्रधानता कम होती है। रोजगार निर्माण विनिर्माण क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों में वृद्धि की गति को तेज करनेवाली प्रेरक शक्ति होगी। इस बात की संभावना है कि योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खनन एवं खदान तथा निर्माण क्षेत्रों में निवेश अत्यधिक मात्रा में किया जाएगा। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं एवं सार्वजनिक प्रशासन तथा सामुदायिक सेवाओं में निवेश में वर्तमान में जो कमी हुई है उसे निजी निवेश में व्यापक सुधार करके, राजकोषीय बाध्यताओं से मुक्त करते हुए तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आंतरिक संसाधन पैदा करके पूरा किए जाने की आशा है। दसवीं योजना की रणनीति के अन्य प्रमुख तत्व संतुलित क्षेत्रीय विकास, समस्त राज्यों में गरीबी में कमी करना, राजकोषीय स्थिरता लाना एवं वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को और भी तेज करना है (बॉक्स I.1)।

बॉक्स I.1
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए विकास रणनीति

दसवीं योजना की रणनीति का केंद्रबिंदु विकास प्रक्रिया की क्षमता को बढ़ाना है। समग्र क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार तथा बेहतर नियंत्रण पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया है। योजना में अभिप्रेत विकास में तेजी लाना केवल उन्नत दक्षता से ही संभव हो सकता है।

योजना मॉडलों के अनुसार, दसवीं योजना की रणनीति की पूरी गणित मानक नव-शास्त्रीय विकास लेखांकन पद्धति के अनुरूप ढाली गई है, जो पूंजी संचयन और संसाधन उपयोग की क्षमता के युग्म द्वारा संचालित है। 1980 के दशक में विकास सिद्धांतों के नवोन्मेषीकरण की परंपरा ने प्रौद्योगिकी विकास, उत्पादकता और क्षमता को विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना है। इस प्रकार पूर्व योजनाओं के दृष्टिकोणों की तुलना में दसवीं योजना के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर क्षमता पर जोर देना है, जिसे 'अर्थव्यवस्था की निहित क्षमताओं में विश्वास'

(जारी....)

(Concld....)

के रूप में अभिहित किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार की नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है जो वर्तमान प्रथाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से विकास की गति को मुक्त करें।

दसवीं योजना के नीतिगत ढांचे में सप्त-आयामी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं: (i) पूंजी उपयोग की दक्षता में संवर्धन; (ii) अधिक खुलापन; (iii) पूंजी बाज़ार का विस्तार और गहनता; (iv) कृषि में सुधार और ग्रामीण विकास; (v) प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक नीति का परिवेश; (vi) सामाजिक और आर्थिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और (vii) संचालन में सुधार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तनों पर पूरा ज़ोर दिया जा रहा जिनसे प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण हो और यहां तक कि विगत से हटकर मौलिक परिवर्तन भी हो सकता है।

- योजना की रणनीति में वर्तमान पूंजी स्टॉक का उपयोग पूरी तरह से उत्पादनकारी बनाने के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए गए हैं ताकि संसाधनों की मांग में अत्यधिक कमी लाई जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की निष्क्रिय पड़ी क्षमता को नई आधारभूत सुविधा वाली परियोजनाओं का अधिस्थगन करके और गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करके क्रियाशील बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र में पूंजी आस्तियों के तुरंत अंतरण के लिए दिवालियापन और मोचन-निषेध से संबंधित कानूनी एवं प्रक्रियागत परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना गया है।
- आयात पर शुल्क कम करना, क्षमताओं का निर्माण खास तौर से निर्यात बाज़ारों के लिए, घरेलू कर-संरचना का युक्तिकरण और निर्यात संवर्धन प्रोत्साहनों का लाभ उठाने को आसान करना, नीतियों में निर्यात-विरोधी प्रवृत्ति को दूर करने और अतंर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ और अच्छी तरह से जुड़ने के लिए आवश्यक माना गया है।
- वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत, योजना में कहा गया है कि दीर्घावधि जोखिम पूंजी का प्रवाह होते रहने देने के लिए इसकी प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। दीर्घावधि बचत और अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का समन्वयन हेतु ऋण और इक्विटी बाज़ार में सुधार लाया जाना प्रमुख है।
- योजना में भूमि की उत्पादकता और जल संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता को कृषि विकास के प्रमुख मुद्दे के रूप में रखा गया है। तदनुसार, योजना का लक्ष्य सिंचाई और जल-प्रबंधन में सार्वजनिक निवेश को अत्यधिक बढ़ाना, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण, कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास, उत्पाद विविधीकरण और अधिक मुक्त कृषि व्यापार है।
- योजना की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत वार्षिक की प्रवृत्ति दर को और अधिक बढ़ाते हुए समग्र विकास की गति को तेज़ करने के अभियान में भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी अधिक रहेगी। शुल्क को पूर्वी एशियाई स्तर तक कम करने और बाहरी उदारीकरण को राज्य स्तरीय औद्योगिक उद्यमों तक विस्तारित किये जाने से वे अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों एवं लाभों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
- मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं अर्थात, दीर्घायु, शिक्षा और संसाधनों पर नियंत्रण। दसवीं योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा सभी को मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत का जो निष्पादन है उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन लाया जाए। सामाजिक विकास के क्षेत्रों में जनसामान्य के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का क्षेत्र ऐसा है जिनपर अत्यधिक बल दिया गया है। योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्ष 2012 तक 'सभी को घर' उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य ने उन बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ज़ोर दिया है जो अर्थव्यवस्था के सुनियोजित विकास मार्ग के लिए सहायक हों। ऊर्जा स्रोतों का संतुलित मिश्रण हासिल करने के लिए राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया तेज करना और उन्हें पर्याप्त कानूनी एवं वित्तीय सहायता देते हुए शक्तिशाली बनाना, जल-विद्युत और परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने की योजना में सिफारिश की गई है। जहां तक परिवहन का संबंध है, योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक और तकनीकी आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाए ताकि रेलवे के कार्य-निष्पादन की वित्तीय बाध्यताओं में सुधार लाया जा सके। योजना रणनीति की कुछ अन्य विशिष्टताएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सड़क नेटवर्क का उन्नयन, राज्य सड़क परिवहन परिचालनों में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना, नागर विमानन और दूर संचार नीति का विस्तार करना हैं।
- कार्य संचालन प्रणाली में सुधार लाना दसवीं योजना की 'आधार शिला' है। सिविल सेवा में सुधार, कंपनी-संचालन और उपभोक्ता सुरक्षा को क्षमता वृद्धि और दायित्व-निर्धारण के लिए अनिवार्य माना गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित सतर्क आशावाद की प्रवृत्ति ने राष्ट्र की मनोदशा को पढ़ लिया है। गरीबी कम करने और रोजगार पैदा करने की अनिवार्यता ने आवश्यक न्यूनतम के रूप में अर्थव्यवस्था की 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना अत्यावश्यक कर दिया है । उपलब्ध अनुभवजन्य साक्ष्य और अब तक जो वृद्धि हुई है उसके स्वतंत्र मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि भारत की वृद्धि दर संभवत: 6-10 प्रतिशत के बीच रही है। इस प्रकार, दसवीं योजना का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, किंतु असंभव नहीं। इस प्रयास में, क्षमता के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने की कल्पना अधिकाधिक विश्वसनीय हो गई है।

संदर्भ

1. बैरो, आर. जे. एंड एक्स. साला - आई - मार्टिन (1995), *इकॉनॉमिक ग्रोथ*, मैकेग्र हिल इंका.
2. भारत सरकार (2002), *दसवीं पंचवर्षीय योजना*, योजना आयोग, नई दिल्ली

वास्तविक क्षेत्र की नीतियां

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

1.9 यद्यपि कृषि क्षेत्र में संस्थागत और संरचनात्मक सुधार की सतत पहल को और भी तेज किया गया, किंतु वर्ष 2002-03 में पड़े सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी।

1.10 केंद्र सरकार ने सूखे से प्रभावित 14 राज्यों को विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों हेतु 3.8 मिलियन मैट्रिक टन चावल और गेहूं नि:शुल्क आबंटित किए। सूखे से संबंधित कार्यदल ने राजस्थान के लिए एक सूखा सहायता हेतु विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत राज्य के अत्यधिक प्रभावित इलाकों के लोगों को प्रतिमाह 10 दिन का राहत रोजगार प्रदान किया गया और प्रतिदिन 8 किलोग्राम अनाज भी दिया गया। तदनुसार, राजस्थान को 6.6 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से फरवरी से जुलाई 2003 तक 2.1 मिलियन टन गेहूँ नि:शुल्क आबंटित किया गया। राजस्थान को 30,000 टन चारा भी नि:शुल्क दिया गया, और पशुओं के 435 कैम्पों को लगभग 12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सूखे से संबंधित कार्यदल ने महाराष्ट्र के लिए फरवरी 2003 से तीन महीने हेतु 1,15,000 टन अनाज और हिमाचल प्रदेश के लिए गरीबी रेखा के स्तर से नीचे (बीपीएल) के लोगों में सार्वजनिक वितरण हेतु 75,000 टन चावल के आबंटन का अनुमोदन किया। रेलवे द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून 2003 तक चारा और पानी नि:शुल्क पहुंचाया जाता रहा।

विभिन्न पण्यों के लिए एकबारगी विशेष सूखा राहत कीमतें घोषित की गईं जो इस प्रकार हैं: धान, ज्वार, खोपरा, और तिल 20 रुपए प्रति क्विंटल, सूर्यमुखी बीज 15 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा और सोयाबीन 10 रुपए प्रति क्विंटल और विभिन्न दालों की कीमतों में 5 रुपए प्रति क्विंटल की राहत। सभी राज्यों के गन्ना कृषकों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि घोषित की गई।

1.11 सूखा राहत उपायों के रूप में वर्ष 2002-03 के दौरान खरीफ फसल ऋण तथा कृषि संबंधी आवधिक ऋणों के ब्याज को आस्थगित कर दिया गया। फसल ऋणों को आवधिक ऋणों में बदल दिया गया जिसकी वसूली छोटे और सीमांत कृषकों से अगले पांच वर्ष में और अन्य कृषकों से तीन वर्ष में की जाएगी। खरीफ ऋणों के प्रथम वर्ष की आस्थगित ब्याज देयता को एकबारगी उपाय के रूप में माफ कर दिया गया है। सरकार ने छोटे और सीमांत कृषकों के लिए 1,490 करोड़ रुपए की निविष्टि सब्सिडी का अनुदान घोषित किया। सूखे की भीषणता को देखते हुए, कृषि निविष्टि सब्सिडी को उन तमाम कृषकों तक बढ़ा दिया गया जिनके दो हेक्टेयर तक के खेत बोए गए थे अथवा नहीं बोए गए थे। सूखे से प्रभावित सभी चौदह राज्यों को सूखे से निपटने के लिए निविष्टि सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई जो संचयी तौर पर 555 करोड़ रुपए से अधिक है। 2003-04 के केन्द्रीय बजट में अंत्योदय अन्न योजना को अप्रैल 2003 से इसमें अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को शामिल करने हेतु विस्तारित कर दिया गया है, जिससे चालू वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के एक चौथाई से अधिक परिवार इसके अंतर्गत आ जाएंगे।

1.12 फ्यूचर्स ट्रेडिंग से कृषकों और व्यापारियों को सहायता पहुंचेगी और वे स्वयं का जोखिमों से बचाव कर सकेंगे और इस प्रकार से सरकारी खरीद के प्रति उनकी निर्भरता कम हो जाएगी । अब 91 पण्य, वायदा संविदा, (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के अंतर्गत आ गए हैं। इन पण्यों में ट्रेडिंग केवल मान्यता-प्राप्त एक्सचेंजों में की जाएगी जिसका विनियमन वायदा बाज़ार आयोग करेगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के प्रारंभ हो जाने के बावजूद भी इन अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिया गया है कि गैर-पारंपरिक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में धान की खरीद के लिए अतिरिक्त केंद्र खोले जाएं।

1.13 केन्द्रीय बजट 2002-03 में प्रस्तावित भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (ए आइ सी) को दिसंबर 2002 में निगमित कर दिया गया है जिसकी पूंजी में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जी आइ सी), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं. लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नाबार्ड की सहभागिता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को ए आइ सी को अंतरित कर दिया जाएगा और यह कंपनी का मुख्य कारोबार होगा। यह नया संगठन फसल बीमा के अलावा, यथा समय, अन्य संबद्ध कृषि जोखिमों को भी कवर कर लेगा।

विनिर्माण और बुनियादी सुविधाएं

1.14 हाल के वर्षों में भारत की औद्योगिक नीति का उद्देश्य प्रमुख सक्षमताओं पर ज़ोर देते हुए इसकी पुनर्संरचना को बढ़ावा देना, संगठनात्मक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की तेज़ काट के प्रति एक्सपोज़र बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धा क्षमता को कूट-कूटकर भरना है।

1.15 दिसंबर 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पारित हुआ ताकि प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं और प्रभुत्व के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाकर तथा एक विशेष आकार से बड़े आकार की कंपनियों का विनियमन करके प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। यह अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी) के स्थान पर प्रयुक्त होगा।

1.16 केन्द्रीय बजट 2003-04 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में अनुपालन की स्थिति को प्रोत्साहित करने और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दर संरचना और एक पूरी केंद्रीय मूल्य योजित कर (सेनवैट) शृंखला की व्यवस्था की गई है। पावरलूम क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में विस्तार आएगा और इससे इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा सकेगा। संशोधित वस्त्र उद्योग संबंधी बुनियादी सुविधा विकास योजना के प्रारंभ से यह आशा की जाती है कि बुनकरों की कार्य स्थिति और उत्पादकता में सुधार आएगा और इससे उन्हें बीमा की भी सुविधा मिलेगी। विकास की संभावनाओं वाले केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहनने के वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक "निर्यात योजनाओं का परिधान पार्क", नामक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत नौ परिधान पार्क खोले जाएंगे। योजनाओं / कार्यक्रमों को हथकरघा, पावरलूम, रेशम उत्पादन और अन्य विकेंद्रीकृत उद्योगों में कार्यान्वित करने के लिए समूह-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1.17 निर्यात-आयात नीति 2003-04 ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों द्वारा की गई घरेलू बिक्री पर लगाए जाने वाले चार प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। औद्योगिक समूह विकसित करने के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एस पी वी) की स्थापना प्रस्तावित है। विशेष प्रयोजन संस्था के लिए राजस्व की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, इसे केंद्र सरकार और लाभार्थियों द्वारा निधि उपलब्ध करायी जाएगी। एसपीवी की स्थापना से आशा की जाती है कि इसके औद्योगिक समूहों में विश्व-स्तरीय प्रत्यक्ष बुनियादी सुविधाएं पैदा होंगी जिसमें विकास की अपार संभावनाएं होंगी और जो स्थिर स्थानीय क्षमता को सक्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता में बदल देंगी। निर्यात-आयात नीति 2002-07 में घोषित औद्योगिक बुनियादी सुविधा उन्नयन योजना के अंतर्गत दस औद्योगिक समूहों का चयन किया जाएगा। कम्पनियों द्वारा खोली जा रही निवेश कम्पनियों की संख्या की अधिकतम सीमा नयी उद्यम निधियां जुटाने के लिए स्थापित की गयी विशेष प्रयोजन व्हीकल संस्थाओं पर लागू नहीं होगी ।

1.18 लघु उद्योग क्षेत्र की 51 मदों का अनारक्षण मई, 2002 से कर दिया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता सुधार के लिए 28 अक्तूबर 2002 से आइएसओ 9000 प्रतिपूर्ति योजना के क्षेत्र को आइ एस ओ 14001 पर्यावरण मानक के व्यय की प्रतिपूर्ति को शामिल करने की दृष्टि से बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय बजट 2003-04 में लघु उद्योग क्षेत्र की 75 मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार ने 3 जून, 2003 को जारी की है। अनारक्षित मदों में प्रयोगशाला रसायन एवं अभिकर्मक, प्लास्टिक, चमड़ा और काग़ज के उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने 10 औषधियों और फार्मास्युटिकल मदों की निवेश सीमा जून 2003 में बढ़ाकर 1 करोड रुपये से 5 करोड़ रुपये कर दी। लघु उद्योग क्षेत्र की संमिश्र बैंक ऋण सीमा को जून 2003 में बढ़ाकर 25 लाख रुपये से 50 लाख कर दिया ताकि वे अपने मीयादी ऋणों एवं कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

1.19 नीतिगत परिवेश में असाधारण परिवर्तन किए जाने से यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्यक्ष बुनियादी सुविधाओं के विकास में अत्यधिक तेज़ी आएगी। केन्द्रीय बजट 2003-04 में, मुख्यतया सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाहों के संबंध में नवोन्मेषी निधीयन प्रणाली की कल्पना की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां कहीं संभव हो निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जनता के धन को नियंत्रित किया जाए। रिज़र्व बैंक ने फरवरी, 2003 में बैंकों को बुनियादी सुविधा वाली परियोजनाओं की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों के अंशदान का वित्तपोषण करने की अुनमति दी। प्रमुख क्षेत्र के निधीयन हेतु पूंजी-पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से जोखिम-भार को आधा करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह, बुनियादी सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत पत्रों में बैंकों के निवेश पर लागू है। इन उपायों से बुनियादी सुविधा क्षेत्र के निधीयन में तेज़ी आने की उम्मीद है।

1.20 संसद ने विद्युत विधेयक 2003 को वर्ष 2003 में अनुमोदित कर दिया है। विधेयक में यह अपेक्षा की गई है कि विद्युत निर्माण के लिए लाइसेंस हटा दिया जाए और सीमित विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी जाए। इससे संचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रिड क्षेत्र में उन्हें खुला प्रवेश मिल सकेगा। अप्रैल,2003 में यूनियन कैबिनेट ने विद्युत क्षेत्र के लिए छह स्तरीय हस्तक्षेप योजना अनुमोदित की जिसमें अगले पांच वर्षों में विद्युत वितरण सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्डों (एसइबी) को 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। हस्तक्षेप रणनीति में राष्ट्रीय स्तर, राज्यस्तर, एसइबी एवं उपयोगिता स्तर, वितरण खंड स्तर, फीडर स्तर तथा उपभोक्ता स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई शामिल है जिससे सभी स्तरों पर जिम्मेदारी के निर्धारण, वितरण की स्थिति, और निष्पादन पर ध्यान दिया जा सके। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को देय 42,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि की एकबारगी अदायगी योजना हेतु विद्युत मंत्रालय, रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों ने मार्च 2003 में त्रिपक्षीय समझौता किया है।

1.21 दूरसंचार क्षेत्र में, विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) की दूरस्थ दूरभाष सेवा का एकाधिकार इस क्षेत्र का 2002 से निजीकरण कर दिए जाने से समाप्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ दूरभाष सेवा के प्रारंभ, यूनिवर्सल सेवा दायित्व के निर्धारण, सेल्यूलर मोबाइल क्षेत्र में चौथे ऑपरेटर की अनुमति तथा इंटरनेट आधार की संस्थापना संबंधी नीतियां कार्यान्वित कर दी गई हैं। केन्द्रीय बजट 2003-04 में टेलीकॉम और घरेलू उपग्रह सेवा कंपनियों को प्राप्त कर-अवकाश की सुविधा 31 मार्च, 2004 तक बढ़ा दी गई है। दूरसंचार क्षेत्र में विलयन, अप-विलयन और अधिग्रहण के माध्यम से अधिक समेकन हेतु दूर संचार विभाग ने जून, 2003 में सेल्यूलर और बेसिक सर्विस ऑपरेटर की लाइसेंस शर्तों में परिवर्तन अधिसूचित किए हैं।

1.22 सड़क क्षेत्र में, निजी पार्टियों को या तो अकेले अथवा चार सदस्यों के सहायता संघ के माध्यम से निविदाएं देने की अनुमति दी गई। सड़क और भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस नई बोली लगाने की प्रक्रिया के अंतर्गत 23 परिचालन-अंतरण (बीओटी) परियोजनाओं की सूची तैयार की है। हवाई अड्डा प्रबंध को 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोला गया।

बाहरी क्षेत्र की नीतियां

निर्यात-आयात नीति (2002-07)

1.23 बाह्य क्षेत्र की सतत सुदृढ़ता और तेज़ी ने महत्वाकांक्षी व्यापारिक नीति की दशा की दिशा तय कर दी है जिसमें अर्थव्यवस्था के निर्यात-विरोधी पक्षों में सुधार पर निरंतर ज़ोर दिया गया है। कम बाहरी मांग और विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ते चले जाने के बावजूद वर्ष 2002-03 में ज़बरदस्त निर्यात निष्पादन से प्रेरित वर्ष 2002-07 की संशोधित निर्यात-आयात (एक्ज़िम) नीति में, दसवीं योजना की विकास रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बेहतर तालमेल की अपेक्षा की गई है।

1.24 नीति का अभीष्ट यह है कि कृषि और संबद्ध उत्पादों को प्रमुख सक्षमता क्षेत्र के रूप में पूंजीकृत करते हुए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं सेवाओं के निर्यात को विकास के इंजन के रूप में महत्त्व देते हुए भारत की निर्यात वृद्धि को समेकित और तीव्र किया जाए। निर्यात प्रतिबंधों को हटाना, ड्यूटी हकदारी पासबुक (डीइपीबी) दरों के निर्धारण हेतु मानदण्डों में संशोधन, कृषि-निर्यात क्षेत्र में कृषि विस्तार, प्रोसेसिंग, पैकिंग, भंडारण, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य सुविधाओं के अलावा कंपनी सहभागिता और निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन सहायता की कल्पना की गई है। नीति में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण की बाज़ार में पहुंच बनाने की पहल की योजनाओं के माध्यम से निर्यात, शुल्क मुक्त आयात और मूल्य-योजना मानदण्डों में उपयुक्त सामंजस्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.25 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइज़ेड) के महत्त्व को मान्यता देते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों (इओयू) पर लागू नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाने तथा आचार संहिता

में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई है। देशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइज़ेड) को की गई बिक्री को निर्यात माना जाता है और यह देशी प्रशुल्क क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं प्रशुल्क की वापसी / ड्यूटी हकदारी पासबुक (डीइपीबी) सुविधा पाने के लिए पात्र बनाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों से रत्न और आभूषण तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

1.26 सेवाओं के बढ़ते महत्व को देखते हुए निर्यात-आयात नीति में इन सेवाओं के निर्यात पर विशेष बल दिया गया है। साफ्टवेयर के अलावा, बहुत-सी परंपरागत (पर्यटन) और गैर-परंपरागत (स्वास्थ्य सुरक्षा, मनोरंजन और व्यावसायिक सेवाओं) को बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में, उपभोक्ता वस्तुओं, कार्यालय और व्यावसायिक उपस्कर, कल-पुर्जों के आयात के लिए पिछले तीन वर्षों में निर्यात से अर्जित औसत विदेशी मुद्रा की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग करने की अनुमति है। पर्यटन क्षेत्र को निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) और अग्रिम-लाइसेंसीकरण योजनाओं के अंतर्गत दी गई सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। मनोरंजन और शिक्षा सेवाओं हेतु, कार्य-योजना तैयार करने के लिए क्षेत्र-विशेष पर आधारित कार्यदल गठित किए गए हैं ताकि निर्धारित समय में निर्यात संभाव्यता हासिल की जा सके।

केन्द्रीय बजट 2003-04 में व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय

1.27 केन्द्रीय बजट 2003-04 में, विदेशी व्यापार को सहज बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जैसे - सीमा शुल्क में कमी / उसका युक्तिकरण, सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण और आधुनिकीकरण, और निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, इसमें कृषि एवं दुग्ध उत्पाद शामिल नहीं हैं।

1.28 दिसंबर 2002 में वित्त मंत्रलय को प्रस्तुत अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कार्यदल (अध्यक्ष : डॉ. विजय केलकर) की रिपोर्ट में प्रशुल्क की वापसी (ड्राबैक्स) विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के संबंध में कई सिफारिशें की गई हैं। कार्यदल की कतिपय सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उन्हें बजट की घोषणा के बाद कार्यान्वित कर दिया है। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं : केंद्रीय मूल्य योजित कर (सेनवैट) की शुरूआत, प्रशुल्क वापसी (ड्राबैक्स) की मंजूरी के लिए तटस्थ स्वतः घोषित प्रमाणपत्र, ड्राबैक की ब्राण्ड दर के तहत पोतलदान के मामलों में समग्र उद्योग ड्राबैक पात्रता के बराबर की राशि की मंजूरी देना, संमिश्र वस्तुओं के मामले में ग्राहक के माल के वजन के बारे में निर्यातक की घोषणा को स्वीकार करना तथा एक महीने के बाद विलंब से स्वीकृत ड्राबैक के मामलों में ब्याज का भुगतान करना।

बाह्य पूंजी प्रवाह हेतु नीतियां

1.29 चालू और पूंजीगत विदेशी विप्रेषणों के संबंध में भुगतान प्रतिबंधों को काफी आसान बना दिया गया है। देशी संस्थाओं को यह अनुमति दी गई है कि वे विदेश में अपनी आय का अधिकांश हिस्सा अपने पास रख सकते हैं ताकि भविष्य में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संविभाग निवेश, एनआरआइ जमा और बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में पूंजी के देश में आने और देश से बाहर जाने की क्रिया में रियायत बरती गई है। उनमें से मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं :

- विदेश में इलाज कराने, विदेश का निजी दौरा करने, विदेश में भुगतान कार्डों का इस्तेमाल करने, इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों एवं अन्य मदों की खरीद आदि के साथ-साथ शैक्षिक एवं चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता की रकम का उपयोग करने जैसी जरूरतों के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति संबंधी मानदण्डों को उदार बना दिया गया है।

- न्यूनतम 10 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद और वार्षिक सीमा एवं वर्तमान कराधान के अधीन स्थावर संपत्तियों की बिक्री के आगमों के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है। विदेशी नागरिकों की आस्तियों और अनिवासी भारतीयों (एन आर आइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों की आस्तियों को उत्तराधिकार/वसीयत के माध्यम से वार्षिक सीमा तक प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

- निर्यात से होनेवाली आय को 100 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (इइएफसी) में जमा किया जा सकता है।

- बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) की समय-पूर्व चुकौती के मानदण्डों को सरल बनाया गया है।

- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को अपने समस्त इक्विटी निवेश के बाज़ार मूल्य को जोखिम से बचाव (हेज) करने की अनुमति दी गई है।

- एडीआर/जीडीआर जारी करने के नियमों को, प्रायोजित करने, विदेशी शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होने, आगमों को विदेश में रखने और बिना किसी रोक के परिवर्तन करने तथा प्रत्यावर्तनीयता की अनुमति देने के लिए सरल बनाया गया है।

- सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों में शर्तों के अधीन निवेश करने की अनुमति; म्युचुअल फंड की विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डालर की गई; बैंकों को टियर I पूंजी का 50 प्रतिशत विदेश में निवेश करने की अनुमति; विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं के लिए स्वचालित मार्ग में अधिक सुविधा।

- निवासी व्यक्तियों को घरेलू विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त

वित्तीय लेन-देन योजना

1.30 अपने मजबूत भुगतान संतुलन और पर्याप्त भण्डार स्थिति के कारण भारत सितम्बर 2002 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) का सदस्य बन गया है। एफटीपी में प्रभावी सहभागिता से भारत आइएमएफ का लेनदार (क्रेडिटर) सदस्य बन जाएगा। एफटीपी में भारत की जितनी ज्यादा सहभागिता होगी उतना ही आइएमएफ में भारत के भण्डार की रकम बढ़ेगी जिसपर आइएमएफ बाजार-संबंधित दरों पर प्रति लाभ देगा। आइएमएफ एक तिमाही एफटीपी तैयार करता है जिसमें यह उल्लेख होता है कि किसी एक तिमाही के दौरान सभी लेनदार (क्रेडिटर) देशों को कुल कितनी रकम देनी है। सितम्बर-नवम्बर 2002 और दिसम्बर 2002-फरवरी 2003 तिमाहियों में एफटीपी में दर्शाए गए नियोजित अंतरण 6.6 बिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और 6.0 बिलियन एसडीआर थे। सभी लेनदारों द्वारा कुल मिलाकर किए गए वास्तविक अंतरण क्रमशः लगभग 1.8 बिलियन एसडीआर और 3.3 बिलियन एसडीआर थे। उपर्युक्त दो तिमाहियों में भारत को क्रमशः 156 मिलियन एसडीआर और 128 मिलियन एसडीआर आबंटित किए गए थे। चूँकि एफटीपी के अंतर्गत किए गए वास्तविक अंतरण नियोजित अंतरण से काफी कम थे इसलिए भारत को इन दो तिमाहियों में वास्तविक रूप से कोई अंतरण करने की आवश्यकता नहीं हुई । बाद की तिमाहियों में यह स्थिति बदल गई। भारत को मार्च-मई 2003 तिमाही की एफटीपी के अंतर्गत कुल 6.2 बिलियन एसडीआर के नियोजित अंतरण (सभी लेनदार सदस्यों द्वारा) में से 140 मिलियन एसडीआर का आबंटन किया गया और पहली बार 5 मिलियन एसडीआर की रकम आइएमएफ को वास्तविक रूप से अंतरित करने के लिए कहा गया है। जून-अगस्त 2003 हेतु सभी एफटीपी सदस्यों को कुल नियोजित 13 बिलियन के आबंटन में से भारत को 303 मिलियन एसडीआर का आबंटन किया गया है और भारत ने इस अवधि में 200 मिलियन एसडीआर का वास्तविक अंतरण किया है ।

जी-20 की पहल

1.31 भारत ने मार्च 2002 में बीस के समूह (जी-20) का नेतृत्व किया। भारत के नेतृत्व के दौरान जी-20 शिष्ट मंडल ने जी-20 सदस्यों की संयुक्त चिंताओं के बहुत से मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिसमें विश्वव्यापीकरण के लाभों को विस्तारित करने, सरकारी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली (एसडीआरएम), अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का सृजन होते रहने के लिए घरेलू नीतिगत अपेक्षाओं, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करने, मानक और संहिताएं बनाने, तथा आर्थिक सहायता का प्रभाव बढ़ाने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं (बाक्स I.2)।

बॉक्स I.2
भारत के नेतृत्व के दौरान जी-20

वाशिंगटन डीसी में 25 सितंबर 1999 को जी-20 का निर्माण जून 1999 में जी-7 नेतृत्व की शिखर बैठक की ''ब्रेटेन वुड्स संस्थागत प्रणाली की संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों के बीच संवाद कायम करने के लिए एक अनौपचारिक तंत्र की स्थापना'' की वचनबद्धता का परिणाम था। जी-20 का उद्देश्य अनौपचारिक बातचीत के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और सदस्यों से संबंधित मामलागत अध्ययन तैयार करना एवं नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करना है। यह फोरम 19 सदस्य देशों (अर्जेंटीना गणराज्य, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, मेक्सिको, चीन गणराज्य, भारत गणराज्य, इंडोनेशिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, टर्की गणराज्य, रूस फेडरेशन, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमरीका) और यूरोपियन संघ पर आधारित है। इसकी चर्चाओं में आइएमएफ के प्रबंध निदेशक एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष और अंतराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आइएमएफसी) तथा विकास समिति (डीसी) के अध्यक्षगण भी भाग लेते हैं।

प्रतिनिधि मंडल की जुलाई, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में आस्ट्रेलिया ने ''विश्वव्यापीकरण, असमानता और जीवनस्तर'' विषय पर सिडनी में हुई जी-20 की कार्यशाला के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। 23 नवम्बर, 2002 को आयोजित मंत्रीस्तरीय बैठक में चर्चा का मुख्य विषय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संकट की रोकथाम एवं इसके निराकरण की पहल, विश्वव्यापीकरण, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना तथा आर्थिक सहायता एवं विकास के बीच की कड़ी मज़बूत करना रहा है। मंत्रियों ने यह पाया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर निर्भरता और वित्तीय बाजार के बढ़ते एकीकरण ने बहुत से देशों में वृद्धिशील विकास के लिए अत्यधिक लाभकारी एवं व्यापक अवसर पैदा किए हैं। हालांकि, देश बाह्य आघातों के प्रति काफी अनुभवी (एक्सपोज्ड) और अनुचित घरेलू नीतियों के परिणामों के प्रति संवेदनशील हो चुके हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि वित्तीय संकट की रोकथाम के लिए क्षमताओं को बढ़ाने और कुशल, तीव्र तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कारगर रणनीति विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय संकट आने पर उसका सामना किया जा सके।

यह अनुभव किया कि एक स्वस्थ विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली के लिए कारगर एवं जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (आइएफआइ) तथा समूचे विश्व में चौकसी अनिवार्य है। यह विचार व्यक्त किया गया कि व्यवहार्य विनिमय दर स्थिति, विवेकपूर्ण आस्ति-देयता प्रबंध और सर्वमान्य मानकों एवं संहिताओं का कार्यान्वयन, संकट रोकथाम की कारगर रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। मंत्रियों ने विश्वव्यापी सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार सुदृढ़ राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, प्रभावी पर्यवेक्षण और कंपनी नियंत्रण के महत्त्व पर जोर दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पूंजी खाते का उदारीकरण उपयुक्त रूप से क्रमानुसार किया जाए।

यह पाया गया है कि विश्वव्यापीकरण से जीवन स्तर आमतौर से ऊपर उठा है जिसमें विश्व के बहुत से गरीबों का स्तर भी बढ़ा है। उपयुक्त घरेलू नीतियां अपनाने एवं स्वस्थ बाह्य परिवेश से विश्वव्यापीकरण

(जारी....)

(....समाप्त)

का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और इससे जुड़े जोखिमों को कम किया जा सकता है। विश्वव्यापीकरण के बारे में जी-20 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अपने-अपने देश के समस्या-अध्ययनों के अनुभव तथा सिडनी में विश्वव्यापीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला के निष्कर्षों ने यह रेखांकित किया है कि विकासशील देशों में विकास संवर्धन और गरीबी कम करने के लिए बुनियादी सेवाओं एवं मानव-पूंजी में अधिक निवेश करने के साथ-साथ सुदृढ़ संस्था, ऐसा वातावरण जो बचत और निवेश को प्रोत्साहित करे, पारदर्शिता, और कानून व्यवस्था का होना अनिवार्य है। मंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया विश्व के कुछ निर्धनतम देशों में गरीबी कम करने में अभी तक अपना असर नहीं दिखा पाई है। इस संदर्भ में उनका मानना है कि व्यापार संबंधी अन्य रुकावटों को कम करके और व्यापार को विकृत करनेवाली सब्सिडी को हटाने से विश्वव्यापीकरण के फायदे निर्धनतम विकासशील देशों सहित और अधिक देशों तक पहुंच सकेंगे। उनका यह भी मानना था कि विकास सहायता से निर्धनतम देश ऐसी क्षमताएं निर्मित कर सकेंगे जिनसे वे अधिक एकीकृत बाज़ार का लाभ उठा सकें।

मंत्रीस्तरीय बैठक के अंत में इसके नेतृत्व का कार्य मेक्सिको को सौंप दिया गया।

राजकोषीय नीति

1.32 केन्द्रीय बजट 2003-04 में निर्धारित राजकोषीय नीति के स्वरूप का उल्लेख पांच मूल उद्देश्यों (''पांच प्राथमिकताएं'') : गरीबी उन्मूलन, बुनियादी सुविधाओं का विकास, राजकोषीय समेकन, सिंचाई सहित कृषि का विकास और विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताएं बढ़ाने के प्रति वचनबद्धता को नवीकृत करते हुए प्रस्तुत किया गया है । राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया कर-सुधारों तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में सुधार और सेवा-कर के विस्तार सहित बजटीय व्यवधानों को क्रमिक रूप से दूर कर पूरी की जा रही है । व्यय-प्रबंधन के हिस्से के रूप में ऋण पुनर्संरचना तथा नकदी प्रबंधन को राजकोषीय समेकन के अभिन्न तत्व के रूप में माना जा रहा है।

व्यय प्रबंध और ऋण समेकन

1.33 नकदी प्रबंध, कतिपय अधिक खर्चवाले मंत्रालयों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बजटीय आबंटन चरणबद्ध रूप से आसानी से हो सके और यह वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप रहे। नकदी प्रवाह के अनुरूप खर्च करने में सुधार से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यय प्रबंधन पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

1.34 ऋण की पुनर्संरचना तीन स्तरों पर की जाएगी अर्थात बाह्य ऋण की पूर्वचुकौती, बैंकों से अतरल उच्च ब्याज दरवाले ऋणों की पुनर्खरीद, और राज्य सरकारों को उच्च लागतवाले केंद्र सरकार के ऋणों की न्यूनतम लागतवाले नए उधार के साथ अदला-बदली करने की अनुमति देना। बाह्य ऋण चुकौती के संबंध में केंद्रीय बजट में इस इरादे की पूरी पुष्टि की गई है कि बाह्य देयताओं का विवेकपूर्ण प्रबंधन और बाह्य ऋण संविभाग के तुलनात्मक रूप से ऊंची लागत वाले घटकों को सक्रियता से समाप्त करते रहने की नीति जारी रहेगी। जहां तक घरेलू ऋण का संबंध है, बैंकों से उच्च ब्याज वाले ऋणों की पुनर्खरीद का प्रस्ताव सरकार पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर करेगी। पुनर्खरीद योजना से बैंकों की चलनिधि स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा, यदि बैंक प्रावधानीकरण के प्रयोजन से पुनर्खरीद के ज़रिए लाभ कमा रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि कर-प्रोत्साहन के माध्यम से बेहतर एनपीए प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच ऋण-स्वैप योजना के अंतर्गत भारत सरकार के प्रति सभी राज्य ऋण जिन पर ब्याज दर (कूपन) 13 प्रतिशत से अधिक है, का 2004-05 को समाप्त होनेवाली तीन वर्ष की अवधि में स्वैप कर लिया जाएगा । अनुमान है कि राज्य सरकारों को लगभग 81,000 करोड़ रुपये के ब्याज की बचत होगी और ऋण की शेष परिपक्वता अवधि के लिए आस्थगित ऋण चुकौती का भी लाभ मिलेगा। इस योजना से राज्यों में लघु बचत योजना के माध्यम से इकट्ठा होते ऋण पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

कर-सुधार

1.35 केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित कर-सुधार में छह महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है : (i) राज्यों के लिए मूल्य योजित कर (वीएटी); (ii) कर-परिधि में सेवाओं का एकीकरण; (iii) सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के बेहतर इस्तेमाल से कर-प्रशासन में सुधार; (iv) उत्पादन शुल्क का युक्तिकरण;(v) सीमा शुल्क में कमी; और (vi) व्यय प्राथमिकीकरण और राजस्व वृद्धि के माध्यम से राजकोषीय समेकन।

1.36 प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, करदाताओं को राहत देने और कर अदा करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती में वृद्धि; स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत 5 लाख रुपए तक की आयकर छूट देते हुए कर्मचारियों को राहत; 12,000 रुपए प्रति बच्चे की दर से दो बच्चों के शिक्षा व्यय की छूट को आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूट के लिए पात्र बनाना; और वरिष्ठ नागरिकों को दी जानेवाली कर-छूट बढ़ाकर 20,000 रुपये करना जिससे इनकी 1.53 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी। व्यक्तियों के लिए, अधिभार पूरी तरह हटा दिया गया है, तथापि 8.5 लाख रुपए से अधिक आय पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है। पेंशन पर, प्राप्तकर्ता के लाभांश-कर को छोड़कर, लागू छूट सीमा 1.83 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो गई है। कर-व्यवस्था के सरलीकरण और युक्तिकरण के उपाय में धारा 80 एल के अंतर्गत व्यक्ति करदाताओं को लाभांश, ब्याज आदि से होनेवाली 15,000 रुपये तक की आय की सामान्य कटौती और प्राप्तकर्ता को लाभांश-

कर से मुक्ति शामिल है। निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से कंपनी-कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा 5 प्रतिशत अधिभार को आधा कर दिया गया है। गृह निर्माण अथवा स्वतः कब्जावाली गृहसंपत्ति की खरीद के लिए आवास ऋण पर कर-कटौती योग्य ब्याज की सीमा, 1,50,000 रुपये रखी गई है।

1.37 अप्रत्यक्ष कर के मामले में, उत्पादन शुल्क की दर संरचना का युक्तिकरण और दरों की बहुलता में कमी करना कर-सुधार की मुख्य घोषणा रही है। इसके अलावा, और अधिक सेवाओं को कर-परिधि में लाया गया है और सामान्य सेवा-कर दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है। सीमा-शुल्क की उच्चतम दर घटा कर 25 प्रतिशत कर दी गई है। उत्पादन-शुल्क के मामले में, पेट्रोलियम और तम्बाकू उत्पाद, पान मसाला और विशेष शुल्क दर वाली मदों को छोड़कर त्रि-स्तरीय उत्पादन शुल्क संरचना - 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत कार्यान्वित की गई है। 32 प्रतिशत की उत्पादन शुल्क दर जो टायर, गैस-युक्त शीतल पेय, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न, एयरकंडीशनर और मोटर कार पर लागू है, घटाकर 24 प्रतिशत कर दी गई है।

1.38 कर-वसूली की लागत को कम करने, स्वैच्छिक रूप से कर अदा करने को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान करदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करके कर-परिधि से बाहर के लोगों को भी करदाता नागरिक बनाने के उद्देश्य से बजट में कर-प्रबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए कतिपय उपायों की घोषणा विशेष रूप से केलकर समिति की सिफारिशों पर की गई है। बजट में घोषित कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :

- आयकर विभाग की गैर-प्रमुख कार्यों की आउटसोर्सिंग;
- जांच के लिए कर-विवरणियों के चयन की वर्तमान स्वविवेक आधारित प्रणाली का तत्काल समापन;
- करदाता सेवाओं की संभावनाओं में विस्तार करना;
- सभी प्रकार की धनवापसी की रकम को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से सीधे करदाता के बैंक खाते में जमा करना;
- करदाता द्वारा कर भरने की लागत में कमी लाना, कर-विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, कतिपय श्रेणियों के लिए कर-अनापत्ति प्रमाणपत्र को हटाना; और
- तलाशी और अधिग्रहण तथा आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अपनाए जानेवाली प्रक्रिया तथा तरीके को आसान बनाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करना।

सामाजिक सुरक्षा और बीमा

1.39 वर्तमान में, अनिवार्य प्राथमिक उपचार, आपातकालीन जीवन रक्षक सेवाएं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवाएं मुफ्त दी जा रही हैं, भले ही व्यक्ति की भुगतान क्षमता कुछ भी हो। फिर भी कम सुविधा वाले बहुत से नागरिकों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी आसानी से नहीं पहुंच पा रही हैं। इस संबंध में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निधियों का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्राथमिक उपचार संस्थाओं के कार्यों में सुधार लाया जा सके और अन्तरराज्यीय एवं अन्तर-जिला अंतरों को न्यूनतम किया जा सके।

1.40 इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था से प्रभावित गरीबों, रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने से प्रभावित लोगों एवं मातृत्व देखभाल के लिए सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजना वर्ष 1995 से लागू है। इस कार्यक्रम में तीन घटक हैं अर्थात राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)। 1 अप्रैल, 2000 को 'अन्नपूर्णा' नामक योजना प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जो यद्यपि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के पात्र तो हैं, किंतु नहीं पा रहे हैं। लाभभोगियों को अनाज रियायती दरों पर गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना 25 राज्यों और 5 संघशासित क्षेत्रों में लागू है और इस योजना में 6.08 लाख से अधिक परिवारों की पहचान की गई, जिन्हें इसका लाभ प्राप्त हो रहा है।

1.41 सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे वर्ष 2003-04 के दौरान समुदाय आधारित व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करें। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम एक व्यक्ति के लिए 1 रुपया प्रति दिन (अथवा 365 रुपए प्रतिवर्ष), पांच सदस्यों पर आधारित परिवार के लिए 1.50 रुपये प्रतिदिन, सात सदस्यों वाले परिवार के लिए 2 रुपए प्रतिदिन होगा और वे अस्पताल में भर्ती होने पर 30,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 25,000 रुपये की राशि, और अपनी कमाई का अवसर खो देने की स्थिति में 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम 15 दिन तक की क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे। इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के योग्य बनाने के लिए सरकार ने उनके वार्षिक प्रीमियम हेतु 100 रुपये प्रतिवर्ष देने का निश्चय किया है। प्रथम चरण में, वर्ष 2003-04 के दौरान कम से कम अतिरिक्त 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवार इस योजना में कवर कर लिए जायेंगे।

1.42 वरिष्ठ नागरिकों और अन्य को राहत प्रदान करने की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार मासिक पेंशन योजना के रूप में वरिष्ठ

पेंशन बीमा योजना नामक विशेष पेंशन पॉलिसी प्रारंभ की है जिसमें 9 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ की गारंटी होगी। 55 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी नागरिक इसके लिए पात्र होगा, और जीवन-पेंशन के रूप में मासिक प्रतिलाभ (रिटर्न) प्राप्त करेगा। इस योजना के अंतर्गत निवेश की गई निधि से एलआइसी द्वारा की गई वास्तविक कमाई और 9 प्रतिशत प्रतिलाभ देने के आश्वासन के बीच की अंतर-राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा एलआइसी को वार्षिक आधार पर की जाएगी।

1.43 वर्ष 2001-02 के बजट में केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों की पेंशन की पुनर्संरचना और आम जनता के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2003-04 में एक नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है जिसमें बहुत से पेंशन विकल्प हैं, जो सरकारी सेवा में आनेवाले नए व्यक्तियों, सशस्त्र बल को छोड़कर, के लिए लागू होगी। यह योजना सभी नियोजकों के लिए भी उनके कर्मचारियों हेतु तथा स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। नई योजना, जब भी लागू होगी, इसमें निर्धारित अंशदान पर आधारित होगी और इस अंशदान में सरकारी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों और सरकार का अंशदान बराबर-बराबर होगा। जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनके मामले में सरकार का कोई अंशदान नहीं होगा। नई योजना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जा सकेगी, जिसमें नौकरी बदलने पर लाभों के अंतरण की अनुमति होगी और सारे लाभ पेंशन निधि के साथ ''व्यक्तिगत पेंशन खाता'' में जमा हो जाएंगे। पेंशन निधियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण वित्त मंत्रालय एक नए स्वतंत्र निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से करेगा।

मौद्रिक नीति ढांचा

1.44 वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधार और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई बहिर्मुखी प्रवृत्ति के फलस्वरूप हाल की अवधि में मौद्रिक नीति के ढांचे में परिवर्तन हुए हैं। नीति का प्रयास वित्तीय क्षेत्र की आबंटन क्षमता में वृद्धि करना, वित्तीय स्थिरता कायम करना और प्रत्यक्ष से हटकर अप्रत्यक्ष उपकरणों को अपनाते हुए मौद्रिक नीति के प्रसारण तंत्र में सुधार करना रहा है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य कीमतों में उतार-चढ़ाव पर निगरानी रखते हुए ऋण वृद्धि को पूरा करने और अर्थव्यवस्था में निवेश-मांग को सहारा देने हेतु पर्याप्त चलनिधि की व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि आसान ब्याज दर की अधिमानता सहित वर्तमान ब्याज दर संरचना को जारी रखा जा सके और मध्यावधि में ब्याज दर को अधिक लचीला बनाया जा सके।

1.45 सीआरआर और रिपो दर में परिवर्तनों सहित बैंक दर में किए गए परिवर्तन चलनिधि और मौद्रिक प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हुए हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) अत्यधिक लचीले तरीके से दैनिक आधार पर चलनिधि की खपत और/अथवा चलनिधि डालने की प्रभावी प्रणाली के रूप में उभरी है और इस प्रक्रिया में यह नीति मांग मुद्रा बाजार के लिए थोड़ी जगह बनाती है। बढ़ती हुई औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में, इस सुविधा के निभावपरक दृष्टिकोण के अनुरूप एक आसान और लचीली ब्याज दर संरचना के प्रति नीतिगत रुख का संकेत दिया गया और उसके अनुरूप, सीआरआर को जून 2002 में 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया और नवंबर 2002 में 4.75 प्रतिशत तथा जून 2003 में और अधिक घटाकर 4.95 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे बैंकों के उधार देने के संसाधन लगभग 13,500 करोड़ रुपए तक बढ़ गए। अक्तूबर 2002 में बैंक दर और एलएएफ रिपो दर को 25 आधार अंक घटा दिया गया जिसके बाद एलएएफ रिपो दर को 3 मार्च, 2003 को 50 आधार अंक और कम कर दिया गया। बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्तियों ने चलनिधि स्थिति को सहज बना दिया जिससे समग्र परिपक्वता क्रम में नीतिगत संकेतों के प्रति भिन्न संवेदनशीलता सहित बाजार ब्याज दरों में सामान्य रूप से कमी हुई। ब्याज दरों में की गयी कमी से हलके मुद्रास्फीति परिवेश से ब्याज दरों में सहजता आ पाई।

1.46 वर्ष 2003-04 की मौद्रिक नीति लगभग 6.0 प्रतिशत की वास्तविक सदेउ वृद्धि, 5.0 से 5.5 प्रतिशत के बीच मुद्रास्फीति, स्थूल मुद्रा (एम$_3$) में 14.0 प्रतिशत का अनुमानित विस्तार, और 15.5- 16.0 प्रतिशत तक खाद्येतर बैंक ऋण की सशर्त प्रत्याशाओं के आधार पर बनाई गई । वर्ष 2003-04 की मौद्रिक नीति का समग्र उद्देश्य निश्चित रूप से अधिमानतः एक आसान और लचीला ब्याज दर परिवेश बनाने से है, किंतु जो समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के ढांचे के भीतर हो और मुद्रास्फीति की सूक्ष्म निगरानी पर केंद्रित हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था की बैंक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार चलनिधि में कमी-बेशी करना जारी रखेगा। मौद्रिक नीति का उद्देश्य बैंक दर और सीआरआर प्रत्येक में 25 आधार अंक की कटौती करके स्पष्ट कर दिया गया है। बैंक दर के संदर्भ में नीति की वरीयता यह है कि निकट अवधि में इसे स्थिर बनाए रखा जाए। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों का प्रभाव बढ़ाने लिए उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र विशेष की पुनिर्वित्त सुविधा को धीरे धीरे हटा दिया गया और ब्याज दर संरचना का युक्तिकरण किया गया जिस पर रिज़र्व बैंक से चलनिधि उपलब्ध होती है । ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को निरंतर मजबूत बनाना सहवर्ती प्राथमिकता बनी रही।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

1.47 भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना और वित्तीय बाजारों के कार्य में सुधार लाना है। वित्तीय क्षेत्र सुधार का मुख्य आधार निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्ड हैं जिनका लक्ष्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान

करना तथा उनमें और अधिक जवाबदेही एवं बाजार अनुशासन पैदा करना है। इन मानदण्डों में न केवल पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण शामिल है, बल्कि लेखांकन मानक, एक्सपोजर और प्रकटीकरण मानदण्ड, निवेश एवं जोखिम प्रबंधन तथा आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। दृष्टिकोण यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलना में मानदण्डों का स्तर निर्धारित किया जाए। वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय क्षेत्र सुधार को आगे बढ़ाया गया जिसमें बैंकिंग कार्यों को सरल और कारगर बनाने, जोखिम प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन, समेकित लेखांकन प्रथाओं को परिचालित करने एवं गैर-निष्पादक ऋणों की वसूली में सुधार लाने के उपायों और नया अधिनियम पारित करने की घोषणा की गई थी।

विवेकपूर्ण मानदण्ड

1.48 विवेकपूर्ण मानदण्डों की स्थापना के प्रति रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण यह रहा है कि इसे लगातार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की ओर बढ़ाया जाए। गैर-निष्पादक ऋणों के निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत 90 दिवसीय मानदण्ड वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होंगे और जिन्हें मार्च 2004 को समाप्त वर्ष तक उसके अनुसार बढ़ना है। राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इन मानदण्डों के प्रति मार्च 2006 को समाप्त वर्ष तक बढ़ना है। इस ओर सहजता से बढ़ने के लिए अप्रैल 2002 के प्रारंभ में बैंकों ने मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करना प्रारंभ कर दिया है। अवमानक आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संक्रमण अवधि को 31 मार्च, 2005 से 18 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। फलस्वरूप अतिरिक्त प्रावधानीकरण को चार वर्षों में न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाना है। बेसिल समिति द्वारा नए पूंजी समझौते के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए किए गए मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस) में रिज़र्व बैंक ने भाग लिया था। नए समझौते की जटिलताओं और उनके अनुपालन में आनेवाली लागत के संबंध में बैंकों को तैयार करने के लिए एक व्यापक आंतरिक प्रक्रिया तैयार की जा रही है। काले धन को वैध बनाने और आंतकवाद का वित्तपोषण करने की अंतर्राष्ट्रीय चिंता में भारत भी साथ रहा है। वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिए ''अपने ग्राहक को पहचानिए'' क्रियाविधि लागू की गई है।

1.49 जनवरी 2002 में बैंको से कहा गया था कि वे 5 वर्ष के भीतर निवेश संविभाग के न्यूनतम 5 प्रतिशत निवेश विचलन निधि (आइएफआर) बनाएं। आइएफआर की गणना निवेश की दो श्रेणियों के संबंध में की जानी चाहिए अर्थात ''व्यापार हेतु धारित'' और ''विक्रय हेतु उपलब्ध''। बैंकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे आइएफआर की गणना करते समय ''परिपक्वता तक धारित'' निवेश श्रेणी को इसमें शामिल करें । कुल जोखिम भारित आस्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक के आइएफआर को टियर II पूंजी माना गया है। 31 मार्च, 2003 में यह सीमा हटा दी गई है। पूंजी-पर्याप्तता प्रयोजन के लिए आइएफआर सहित टियर II पूंजी, टियर I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक मान्य होगी।

1.50 बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हुए बैंकों को देश विशेष जोखिम प्रबंधन और प्रावधानीकरण से संबंधित दिशानिर्देश उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि देश विशेष और प्रतिपक्षी जोखिम के आंतरिक मूल्यांकन को प्रोत्साहन मिले। ये दिशानिर्देश केवल उन देश विशेष के संबंध में लागू हैं जहां बैंक का एक्सपोजर उसकी निवल निधिकृत कुल आस्तियों का दो प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। एक्सपोजर वाले देश विशेष की जोखिम श्रेणी को देखते हुए बैंकों को यह निदेश दिया गया था कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से निवल निधिकृत देश विशेष जोखिम पर श्रेणीकृत पैमाने से 0.25 से 100 प्रतिशत के बीच प्रावधान करें। देश विशेष जोखिम के लिए किए गए प्रावधान की टियर II पूंजी में गणना किए जाने हेतु ''मानक आस्ति के लिए किए गए प्रावधान'' के सम मूल्य पर माने जाने की अनुमति होगी। जिसकी उच्चतम सीमा जोखिम भारित आस्ति का 1.25 प्रतिशत होगी।

1.51 बैंकों द्वारा गैर-जमानती बांडों. प्रतिदेय बाण्डों के रूप में जारी गौण ऋण वर्तमान में टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य माने जाते हैं। बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे गौण ऋण के माध्यम से बाजार से दीर्घावधि संसाधन जुटाएं ताकि वे अपने संविभाग को आस्ति-देयता प्रबंध हेतु पुनर्गठित कर सकें।

1.52 पूंजी-पर्याप्तता मानकों को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू करते हुए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कई उपाय किए गए, जिनमें अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु आस्ति-देयता प्रबंधन ढांचे का निर्धारण, कंपनी शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त उपलब्ध करवाने पर पाबंदी के होते हुए भी एसएलआर के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां रखने के अंश में वृद्धि शामिल है।

1.53 प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण संबंधी प्रणालियां शहरी सहकारी बैंकों के कार्य के कमजोर क्षेत्र हैं। नए शहरी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे कम से कम ऐसे दो निदेशक रखें जो अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता अथवा पर्याप्त बैंकिंग अनुभव रखते हों। इस अपेक्षा को वर्तमान शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निदेशकों को और उनके द्वारा निर्दिष्ट रिश्तेदारों को तथा उन संस्थाओं को जिनमें निदेशकों का हित निहित है, अग्रिम देने पर 1 अक्तूबर 2003 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाये जाने का प्रस्ताव है। जिन शहरी सहकारी बैंकों ने अपने कार्यों को पूरी तरह से/आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत कर लिया है उनसे अपेक्षित है कि वे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग (इडीपी) लेखा-परीक्षा प्रणाली प्रारंभ करें और शहरी सहकारी बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा/ निरीक्षण तंत्र पर नियंत्रण रखने और

दिशानिर्देश देने के लिए बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति गठित करें। लेखा-परीक्षा समितियां रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट और सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों एवं सुझावों की संवीक्षा करेंगी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगी।

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

1.54 गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत ऋण वसूली और पुनर्संरचना हेतु विकल्पों की सूची उपलब्ध करवायी गयी है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह स्वतंत्रता है कि वे ऋण वसूली के लिए स्वयं की नीतियां बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें और समझौते तथा बातचीत द्वारा निपटारा करते हुए ऋण को बट्टे खाते में डालें। इस संबंध में बैंकों को उपलब्ध विकल्प सूची इस प्रकार हैं : (क) पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना का कार्य बैंक के स्तर पर किया जाए; (ख) पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना का कार्य कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) के माध्यम से किया जाए; (ग) लोक अदालतों, सिविल न्यायालयों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के माध्यम से समाधान/वसूली; (घ) प्रबंधन की अपनी योजना और सरकारी क्षेत्र के बैंकों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता निपटान; (ङ) पुनर्गठन कंपनियों/प्रतिभूतिकरण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री और (च) एसएआर एफएइएसआइ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों के माध्यम से वसूली।

1.55 अग्रिमों की गुणवत्ता और निष्पादन का बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गैर-निष्पादक ऋणों का संचय न हो इसके लिए कई उपाय किए गए, किंतु मूल्यांकन एवं संवितरण प्रणाली लागू होने के बावजूद लेनदारों के पास अधिकार न होने के कारण ये समस्या बनी रही। इस समस्या को सुलझाने के लिए 23 अप्रैल 2003 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएइएसआइएक्ट) से संबंधित अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, अनुमतियोग्य कारोबार, प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्गठन के कारोबार को संचालित करने के लिए परिचालनात्मक ढांचा, अधिशेष निधि का अभिनियोजन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकपूर्ण मानदण्ड और आस्ति पुनगर्ठन/प्रतिभूतिकरण कंपनियों के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं शामिल हैं। यह अधिनियम सुरक्षित लेनदार को न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी हस्तक्षेप के बिना किसी भी प्रकार का प्रतिभूति हित उसके पक्ष में जमा करा दिए जाने की शक्ति प्रदान करता है। सुरक्षित लेनदार की अपेक्षा होगी कि उधारकर्ता नोटिस की तारीख से निर्धारित समय के भीतर देयताओं को पूरा करे, ऐसा न कर पाने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने अथवा प्रबंधन अपने हाथ में लेने का हक होगा। मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनिवार्य दिशानिर्देशों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने सिफारिशी स्वरूप के मार्गदर्शी नोट भी जारी किए हैं जिनमें आस्तियों के अभिग्रहण और प्रतिभूति रसीदें जारी करने के पहलुओं को शामिल किया है। यह माना गया है कि बैंक अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को काफी छूट देते हुए प्रतिभूतिकरण।/पुनर्गठन कंपनियों को बेच सकेंगे और फलस्वरूप यदि निवल बही मूल्य (बैंक की कुल आस्तियों में से किए गए प्रावधान को घटाने पर) में कोई कमी होती है तो उसे लाभ और हानि खाता में नामे डाला जाएगा। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से कहीं अधिक का प्रावधान करें, विशेष रूप से उन आस्तियों के लिए जिन्हें वे प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनियों को बेचना चाहते हैं।

1.56 इन सबके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 10 करोड़ रुपए तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों को समझौते द्वारा निपटारा करने का एक और अवसर उधारकर्ताओं को प्रदान किया गया है। इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए जो पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौते द्वारा निपटारा करने के लिए आसान,गैर-विवेकाधीन और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीका उपलब्ध कराता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे जमा हुई गैर-निष्पादक आस्तियों के बकायों की अधिकतम वसूली प्राप्त करने की दृष्टि से इन दिशानिर्देशों को समान रूप से कार्यान्वित करें। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोसेसिंग का कार्य दिसंबर, 2003 तक पूरा कर लिया जाना है।

1.57 बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी आंतरिक निगरानी और अनुवर्तन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ''मानक'' और ''अवमानक'' खातों के बीच एक नई आस्ति श्रेणी ''विशेष उल्लिखित खाता'' खोलें गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक श्रेणी से संदिग्ध/हानि श्रेणी न होने दें। जिनमें संभावित कमजोरीयों के काफी अवसर उपलब्ध हों तथा समय पर सुधारात्मक उपाय करके उनके पुनर्गठन के लिए सघन निगरानी जरुरी है।

विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी मामले

1.58 तेजी से बदलते वित्तीय परिवेश में पारंपरिक पर्यवेक्षीय प्रथाओं की सीमा ने विश्व भर में पर्यवेक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषन और विश्वव्यापीकरण में होनेवाली प्रगति के अनुरूप वे अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करें। रिज़र्व बैंक का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की ओर रुख जो पर्यवेक्षीय संसाधनों के जोखिम की स्थिति के अनुसार विनिधान पर ज़ोर देता है, पर्यवेक्षीय कार्य के परिष्करण की दिशा में आशावादी दृष्टिकोण है जो ''द्वितीय पूंजी समझौता'' किए जाने पर पर्यवेक्षित संस्थाओं को उसके अनुरूप बनाने में सहायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं से सहायता लेते हुए और देश-विशेष की अपेक्षाओं का अध्ययन तथा अंतर-देशीय अनुभवों के आधार

पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की ओर सहज रूप से बढ़ने के लिए वर्ष 2002-03 में प्रबंधन प्रक्रियाएं प्रारंभ की गईं। इन प्रक्रियाओं में चर्चा पत्र और उनपर प्रतिक्रियात्मक विश्लेषण, जोखिम-स्वरूप, मैनुअल तैयार करना, प्रशिक्षण और अन्य अपेक्षाएं शामिल हैं। आरबीएस को अप्रैल-जून 2003 से कुछ चुनिंदा बैंकों पर प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ कर दिया गया है। इससे प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर, आरबीएस को चरणबद्ध रूप से सभी बैंकों में लागू किया जाएगा।

1.59 त्वरित पर्यवेक्षीय प्रतिसाद करने के लिए विकसित ट्रिगर प्वाइंट युक्त उपकरण के रूप में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (पीसीए) आरंभ में एक वर्ष के लिए दिसंबर 2002 में लागू की गई। पीसीए ढांचे में वह संरचनात्मक कार्रवाई शामिल है जो बैंकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता, गैर-निष्पादक आस्तियां, आस्तियों पर प्रतिफल के संबंध में सतर्कता बिन्दुओं पर पहुँच जाने पर रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। तथापि, इससे रिज़र्व बैंक द्वारा किए जानेवाले अन्य विवेकाधीन सुधारात्मक उपाय में कोई रुकावट नहीं पैदा होती है।

1.60 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा समेकित पर्यवेक्षण करने हेतु लेखांकन और परिमाणात्मक विधि तैयार करने की दिशा में किए गए प्रयास और अन्य विनियामकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान ने समेकित लेखांकन और पर्यवेक्षण से संबंधित अंतिम दिशानिर्देशों को जारी करने में मदद की जिनका अनुपालन 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष से किया जाना है। प्रारंभ में, समेकित पर्यवेक्षण उन सभी समूहों के लिए अनिवार्य होगा जिनकी नियंत्रक संस्था एक बैंक है। आगे चलकर मिले-जुले रूप में एकजुट संस्थाओं को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। पर्यवेक्षीकृत संस्थाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण अपेक्षा उपयुक्त प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) की स्थापना करना होगा जो समेकित लेखांकन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन में सहायक होगी।

1.61 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षी मानदण्डों और संव्यवहारों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप बनाने तथा भारतीय बैंको द्वारा अपनाये गये मानदण्डों को विश्वव्यापी मानदण्डों के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के प्रयास में एक कार्य दल गठित किया जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन के मानदण्डों के अनुपालन के आये अंतराल को कम करेगा। उक्त कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर ऐसे कुछ लेखांकन मानदण्डों के संबंध में जहाँ अनुपालन में अंतराल था, बैंकों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी दिशा निदेश जारी किये गये।

1.62 ब्याज दर जोखिम के प्रति अपने निवेशों का प्रबंध करने में विनियमित संस्थाओं को समर्थ बनाने की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानिक क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक व्यापारियों और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को स्टाक बाजार में लेन-देन किये जानेवाले ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों का लेन देन करने की अनुमती दी गयी। पहले चरण में, इन संस्थाओं को ब्याज दर फ्यूचर्स में सांकेतिक बांडों और खजाना बिलों पर ही अपने निवेश सविधान में निहित जोखमों की सुरक्षा करने के सीमित प्रयोजन से ही अनुमति दी गई है।

1.63 वर्ष के दौरान की गई अन्य पर्यवेक्षीय पहल में मैक्रो-प्रूडेंशियल संकेतकों का विकास, जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के संक्रमण को संभालना और कंप्यूटरीकृत परिवेश में निरीक्षण के लिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा शामिल हैं।

1.64 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पर्यवेक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए रिज़र्व बैंक ने अप्रत्यक्ष (कार्य स्थल पर जाए बिना) निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है। शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणीकरण की नई प्रणाली प्रारंभ की गई है जो उनके जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर), निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर, हानियों के रिकॉर्ड और चलनिधि अपेक्षाओं के अनुपालन पर आधारित है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कैमल्स मॉडल के अंतर्गत एक पर्यवेक्षीय रेटिंग प्रणाली बनाई गई है। उनके तुलनपत्र में 31 मार्च 2003 से पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की जमाराशियों के शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे उनके लेखों से संबंधित टिप्पणियों में अतिरिक्त निर्दिष्ट सूचना दें। वे अपनी निदेशकों की रिपोर्ट में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) को किए गए निक्षेप बीमा प्रीमियम के भुगतान की स्थिति का भी उल्लेख करें।

1.65 वास्तविक समय परिवेश में कार्य करने हेतु एक कुशल एकीकृत और सुरक्षित प्रणाली की स्थापना करने के लिए वर्तमान भुगतान प्रणाली और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। प्रमुख परियोजनाएं जो कार्यान्वयन के अधीन हैं, वे इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन, केंद्रीकृत निधि प्रबंधन, संगठित रूप से सूचनाओं के आदान-प्रदान के उपाय तथा भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट)। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (इएफटी) के अंतर्गत सुविधाओं को उन्नत बनाया गया है और उसकी स्थानिक क्षमता को एक ही दिन में बहुत से निपटारे करने तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के माध्यम से विदेशी मुद्रा समाशोधन शुरू कर दिया गया है। इएफटी में पर्याप्त सुरक्षा विशिष्टताएं शामिल की जा रही हैं। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) को तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2003 के अंत तक आरटीजीएस सक्रिय रूप से क्रियाशील हो जाएगी।

वित्तीय बाजारों के लिए नीतियां

1.66 वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में आशावादी दृष्टिकोण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि

एक प्रतिस्पर्धात्मक एवं विशाखीकृत वित्तीय बाजार ढांचे का विकास किया जाए जो विभिन्न प्रकार के लिखतों एवं विविध प्रकार के जोखिमों वाले सहभागियों की आवश्यकता को पूरा करे और बाजार के अलग-अलग क्षेत्रों का आपस में इस तरह विलय हो जाए कि उनकी निरंतरता में कोई रुकावट न पड़े। इससे वित्तीय क्षेत्र की विनियोजन क्षमता बढ़ेगी, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी और मौद्रिक नीति की प्रसारण प्रणाली में सुधार होगा। कुशल वित्तीय मध्यस्थता के लिए प्रौद्योगिकीय और संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करना प्रमुख प्राथमिकता है। सीसीआइएल और वार्तातय लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) का परिचालन, संपार्श्विकीकृत उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ), संपार्श्विकीकृत रिपो लेनदेन और ब्याज दर विकल्पों को लागू करने से वित्तीय बाजारों की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें आरटीजीएस क्रियान्वित करने के लिए तैयार करेंगे।

मुद्रा बाजार

1.67 हाल के वर्षों में, मुद्रा बाजार में किए गए सुधारों का मूल उद्देश्य नए लिखतों को आसानी से प्रारंभ करना तथा संतुलित बाजार परिस्थितियों में उनका उपयुक्त मूल्य निर्धारित करना रहा है। इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण पूर्व अपेक्षा यह है कि ऐसे बाजार खण्डों का विकास किया जाए जो केवल विशिष्ट आस्तियों एवं देयताओं तथा सहभागियों के साथ ही लेनदेन करें। तदनुसार, मांग/सूचना मुद्रा बाजार को पूर्णतया अंतर-बैंक बाजार में परिवर्तित किया जा रहा है। मांग मुद्रा बाजार के जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा के माध्यम से प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित की जा रही है। इसे वर्ष 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक से बैंकों को दी गई स्थायी चलनिधि सहायता के युक्तिकरण एवं अपवादात्मक स्थिति में चलनिधि सहायता के माध्यम से बल मिला।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

1.68 सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित करने एवं गहन बनाने और साथ ही विनियमों एवं निगरानी को सुदृढ़ीकरण के लिए पहल की गई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के भावी निर्गमों का साफ-साफ प्रसारण, अप्रत्याशित बाजार उतार-चढ़ाव से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए नए लिखतों की शुरुआत और स्टॉक एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनाम स्क्रीन आधारित आदेशचालित व्यापार की स्थापना ने बाजार सहभागियों द्वारा उचित निवेश योजना करने हेतु सहायक परिवेश विकसित किया गया।

विदेशी मुद्रा बाजार

1.69 विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास प्रवेश प्रतिबंधों को आसान बनाते हुए, बाजार सहभागियों को अधिक स्वतंत्रता देते हुए और अंतर्राष्ट्रीय चालू एवं पूंजीगत लेनदेन का निरंतर उदारीकरण करके सभी के लिए बाजार में और अधिक स्थान बनाते हुए किया गया है। विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा-रुपया आप्शंस की अनुमति दी गई है और वे विनिमय जोखिम की असीमित हेजिंग सहित निवासियों के साथ स्वॉप कर सकते हैं। पूंजीगत लेनदेन के बहुत से मामलों में वायदा संविदा की बुकिंग की अधिक से अधिक स्वतंत्रता देते हुए वायदा कवर की अनुमति प्रदान की गई ।

पूंजी बाजार

1.70 वर्ष 2002-03 के दौरान पूंजी बाजार की नीतियों का रुख बाजार की क्षमता में वृद्धि करना तथा अधिक पारदर्शिता एवं बेहतर व्यापार और निपटान प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर निवेशक सुरक्षा प्राप्त करना रहा है। भारत सरकार ने पूंजी बाजार के कार्यों के लिए महत्त्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन किए हैं जिनके दूरगामी प्रभाव होंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को इंसाइडर ट्रेडिग और बाजार हेर-फेर वाले मामलों की तहकीकात करने और जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायनिर्णयन करने वाले अधिकारी द्वारा लगाए जानेवाले दण्ड को बढ़ा दिया गया है ताकि वह कारगर निवारक सिद्ध हो सके। कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किया गया है ताकि रुग्ण कंपनियों की अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्व्यवस्था और उनके समापन के लिए एक नया, आधुनिक, कुशल एवं समयबद्ध दिवालियापन कानून बन सके।

1.71 सेबी ने 1 अप्रैल, 2002 से टी+3 आधार पर अनिवार्य रोलिंग सेटेलमेंट प्रारंभ किया है। समझौते के चक्र को टी+2 आधार पर 1 अप्रैल, 2003 से और भी कम कर दिया गया है ताकि बाजार में जोखिम को कम किया जा सके और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं (जर्मनी टी+2, जापान और अमरीका - टी+3) के अनुसार निवेशकों के हित की रक्षा की जा सके।

1.72 सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और कंपनीकरण (डिम्युचुअलाइजेशन) से संबंधित समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए निगमीकरण एवं कंपनीकरण का एक समान मॉडल अपनाने की सिफारिश की गई है। सेबी (केंद्रीय सूचीकरण प्राधिकरण) विनियमावली, 2003 के जारी होने के साथ ही केंद्रीय सूचीकरण प्राधिकरण (सीएलए) के सृजन का रास्ता साफ हो गया जिसके अनुसार कंपनियों और अन्य संस्थाओं को स्टाक एक्सचेंजों में अपनी सूचीबद्धता से पहले सीएलए की संस्तुति लेना अपेक्षित होगा। स्टॉक की वर्तमान सूची जिन पर व्युत्पन्न लिखतों का कारोबार होता है, को बढ़ा दिया गया है। डेरिवेटिव बाज़ार को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से 24 जून, 2003 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्याज दर डेरिवेटिव प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ में संविदाएं 10 वर्ष की परिपक्वता वाली छोटी सरकारी प्रतिभूति और 91 दिवसीय अथवा तीन महीने की परिपक्वता वाले छोटे खज़ाना बिल थीं जिनका निपटान नकद में होगा। इन डेरिवेटिव संविदाओं के लिए अपनाए जाने वाले जोखिम-नियंत्रण उपायों को सेबी ने कार्यान्वित किया है। भगवती समिति की सिफारिशों पर आधारित, सेबी ने अधिग्रहण विनियमावली में कतिपय संशोधन

किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिमानी आबंटन के माध्यम से अभिग्रहण हेतु स्वतः छूट को हटाना, शेयरहोल्डिंग जब बढ़कर 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, और 14 प्रतिशत हो जाए तो उसके प्रकटीकरण की बारंबारता बढ़ाना शामिल है। फुटकर निवेशक भी सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार और निवेश कर सकें, इसके लिए बंबई स्टाफ एक्सचेंज ने 16 जनवरी, 2003 से सरकारी प्रतिभूतियों में स्क्रीन आधारित फुटकर व्यापार प्रारंभ किया है। इस पहल से, भारतीय नियत आय प्रतिभूति बाज़ार जिसमें अभी तक थोक निवेशकों जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों का प्रभुत्व रहा है, अब फुटकर निवेशकों के लिए भी खुल गया है।

कंपनी संचालन

1.73 प्रतिभूति बाजार के कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए व्यापक सुधारों के एक भाग के एक रूप में सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से सूचनाओं के बेहतर प्रवाह के लिए कई उपाय किए हैं ताकि बाजार की क्षमता को बढ़ाया जा सके। सेबी का यह भी प्रयास रहा है कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कंपनी नियंत्रण प्रथाओं को और भी अच्छा बनाया जाए जिससे प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता के सुदृढ़ीकरण द्वारा भारतीय कंपनी क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही की मानसिकता पैदा की जा सके।

1.74 वर्ष 2002-03 के दौरान, सेबी ने कंपनियों के लिए प्रकटीकरण के मानदण्डों को सख्त बनाने हेतु सूचीबद्धता करार में यह संशोधन किये कि अंतिम तिमाही के गैर-लेखा परीक्षित परिणामों को 30 दिन के भीतर प्रकाशित करने के बजाय पूरे वर्ष के लेखा-परीक्षित परिणामों को तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाए। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण/अग्रिमों और निवेश के संबंध में प्रकटीकरण, लेखापरीक्षा संबंधी अर्हताओं और उनपर की गई कार्रवाइयों के प्रकटीकरण से संबंधित मानदंड विस्तृत कर दिए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता करार में एक खंड जोड़ें जिसमें कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे सेबी की इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा सूचना फाइलिंग और पुनः प्राप्ति (इडीआइएफएआर) व्यवस्था पर विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पारस्परिक निधि

1.75 पारस्परिक निधियों के परिचालनों और नियंत्रण में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में बेंचमार्क के निष्पादन का प्रकटीकरण, असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश, गैर-निष्पादक अथवा अनकदी आस्तियों के शोधन के बाद वसूली गई रकम का पुराने निवेशकों में वितरण, आचार संहिता और अंतरंग व्यापार विनियमावली के पालन पर जोर देना, विक्रय और क्रय मूल्यों की गणना में समानता, न्यासियों की बैठक की बारंबारता में वृद्धि करना जोखिम प्रबंधन मानदण्डों से संबंधित दिशानिर्देश, विदेशी प्रतिभूतियों की निवेश सीमा में वृद्धि और पारस्परिक निधि यूनिटों के विक्रय और विपणन करने वाले पारस्परिक निधि बिचौलियों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल हैं।

विधिक ढांचे में परिवर्तन

1.76 हाल के वर्षों में, वर्तमान बुनियादी कानूनी सुविधाओं की अपर्याप्तता और उभरते हुए परिवेश के प्रति उसकी असंगतता वित्तीय क्षेत्र सुधार की प्रगति में बाधक बनी हुई है। वित्तीय बाजारों के परिवर्तन, वित्तीय नवोनमेषों और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के प्रसार ने वित्तीय प्रणाली के विकास और रिज़र्व बैंक की विनियामक प्राधिकारी की सीमा के बीच असंतुलन की स्थिति को गहरा कर दिया है। रिजर्व बैंक की विनियामक जिम्मेदारियों से संबंधित कानूनों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि विधिक संरचना में गहनतम सुधार किए जाने की आवश्यकता है (बॉक्स I.3)।

बॉक्स I.3
विधायी सुधारों का विकासक्रम

संसद द्वारा पारित अधिनियम

- 6 फरवरी, 2003 से प्रभावी परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 ने वर्तमान अधिनियम में दी गई 'चेक' की परिभाषा को विस्तृत करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक चेक' और 'चेक ट्रंकेशन' की संकल्पना प्रारंभ की है, जो चेकों आदि के अस्वीकृत हो जाने पर दण्ड में वृद्धि करते हैं।
- 21 जून, 2002 से प्रभावी प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों का विनियमन करता है। अधिनियम के प्रावधान सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं।
- काला धन वैधीकरण निवारण अधिनियम, 2002 अपराध के मुकद्मों के जोखिमों का सामना करने, इसके फैलने, उपयोग, कुर्की, न्यायनिर्णयन ओर जब्ती के संबंध में विधिक ढांचा और तंत्र का उपबंध करता है।
- 1984 के अधिनियम के स्थान पर 19 अगस्त 2002 से प्रभावी बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 बहु-राज्य सहकारी समितियों को कार्य की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत की जानेवाली विनिर्दिष्ट कंपनी में अंतरण एवं सौंपने का उपबंध करता है।

विभिन्न स्तरों पर की गई विधिक पहल

- दिसंबर 2000 में संसद में प्रस्तुत राजकोषीय दायित्व एवं बजट

(जारी....)

(....समाप्त)

प्रबंधन विधेयक, 2000 में राजकोषीय घाटे को कम करने, सरकारी ऋण की वृद्धि को नियंत्रित करने, और ऋण-सदेउ अनुपात को स्थिर रखने आदि हेतु विधिक एवं संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल हैं।

- 13 दिसंबर,2000 को लोकसभा में प्रस्तुत वित्तीय कंपनी विनियमावली विधेयक, 2000 में वित्तीय संस्थाओं के विनियमन, जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण, मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक विकास का सुनिश्चियन एवं ऋण प्रणाली के युक्तिकरण का प्रावधान शामिल है। यह विधेयक वित्त से संबंधित संसदीय समिति के विचाराधीन है।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तांतरण) और वित्तीय संस्था कानून (संशोधन) विधेयक, 2000 लोकसभा में 13 दिसंबर, 2000 को प्रस्तुत किया गया और वित्त से संबंधित स्थायी समिति के विचाराधीन है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने के लिए सरकार को समर्थ बनाना और कमजोर बैंकों के लिए वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकारी की नियुक्ति करना, सरकार की साझेदारी को कम करके 33 प्रतिशत करना, कंपनी नियंत्रण के सिद्धांत लागू करना आदि संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2002 का प्रारूप भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया है।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव करते हुए बैंककारी विनियमन (संशोधन) ओर विविध प्रावधान विधेयक, 2003 का प्रारूप भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए रिज़र्व बैंक ने विधेयक का प्रारूप भारत सरकार को भेज दिया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के ऋण प्रबंध को मौद्रिक प्रबंध से अलग करना, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को कारगर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और विविध भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है।
- 'ऋण सूचना ब्यूरो विनियम' से संबंधित विधेयक के प्रारूप में प्रस्ताव किया गया है कि रिर्ज़व बैंक अथवा सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं कम से कम एक ऋण सूचना ब्यूरो की सदस्य होंगी।
- वित्त मंत्रालय, रिज़र्व बैंक और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के संयुक्त दल की सिफारिशों के अनुसार बैंक द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर 'बैंक निक्षेप बीमा निगम' विधेयक भारत सरकार के विचारार्थ अग्रेषित कर दिया गया है।
- अप्रैल, 2002 में अग्रेषित औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के बकाया ऋणों की फैक्टरिंग से संबंधित विधेयक भारत सरकार के विचाराधीन है।

विधायी सुधारों से संबंधित कार्य-दल

- परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण करने और आहरणकर्ता के खाते में उपलब्ध रकम की सीमा तक चेक का भुगतान करने हेतु बैंकों को सक्षम बनाने के लिए संशोधन के प्रस्ताव हेतु रिज़र्व बैंक में एक कार्य-दल का गठन किया गया।
- चेक ट्रंकेशन, अन्य देशों में ई-चेकों के वर्तमान मण्डलों का परीक्षण करने और भारतीय संदर्भ में मॉडलों की संस्तुति करने तथा उनसे संबंधित मानकों एवं क्रियाविधि का निर्धारण एवं ई-चेकों को जारी करने, प्रोसेसिंग, समाशोधन तथा निपटान और अन्य संबंधित मामलों हेतु विस्तृत नियमावली एवं विनियमावली बनाने के लिए बैंक ने एक कार्य-दल गठित किया है।
- आवास वित्त कंपनियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में बैंक के निवेश को प्रोत्साहन देने के तौर-तरीकों का परीक्षण करने और निवेशकों का आधार व्यापक करने, आस्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने और आस्तियों में व्यापार करने के लिए चलनिधि की व्यवस्था हेतु एक कार्यदल गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

1.77 बीते वर्ष के दौरान जबरदस्त आघातों से घिरे होने के बावजूद वर्ष 2003-04 की समष्टिगत आर्थिक नीति विन्यास से मूलभूत सिद्धांतों में सुदृढ़ता आई और अर्थव्यवस्था ने जो समुत्थान शक्ति हासिल की उससे सकारात्मक उम्मीदें पैदा हुई हैं। अर्थव्यवस्था की संभावनाएं आशावादी हैं और वास्तविक सदेउ की वृद्धि से उम्मीद की जाती है कि वह विकास की जो गति टूटी है उसे बहाल करते हुए अर्थव्यवस्था को पूरी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए तैयार कर देगी। जुलाई तक मानसून की स्थिति बेहतर हो जाने से कृषि उत्पादन में सुधार होने की संभावना है और वृद्धि की प्रवृत्ति की बहाली में उद्योग और सेवा क्षेत्र के साथ इसकी भी भागीदारी रहेगी। वर्ष 2002-03 में वणिक वस्तुओं और अदृश्यों के निर्यात में जो तीव्र उछाल आया है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि आने वाले वर्ष में भी यही स्थिति कायम रहेगी। वर्ष 2003-04 के प्रारंभिक महीनों के अनुभव यह संकेत करते हैं कि पूंजी प्रवाह की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार में जो संचय होगा, वह थोक मूल्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने पर अत्यधिक जोर के प्रति मौद्रिक नीति के परिचालन की परख करेगा। तथापि, वित्तीय बाजारों में पर्याप्त चलनिधि होगी और ब्याज दरों में कमी जारी रहेगी। विकास संबंधी नीति के लक्ष्य के अनुसरण में संरचनात्मक सुधार को गहन बनाने और उसकी परिधि को व्यापक करने के नवीनतम प्रयासों से सतत राजकोषीय सुदढ़ता को बल मिलता रहेगा।